पंचायत सचिव व सरपंच पति पर लगाए गंभीर आरोप

पंचों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की शिकायत, जांच करने की मांग

मंडला, देशबन्धु। जनपद पंचायत निवास की ग्राम पंचायत भानपुर बिसौरा गांव के ग्रामीणो एवं पंचों ने ग्राम पंचायत में विकास कार्य तो हो रहे है मगर कई बिलों की प्रतियां धुंधली लगाई जा रही। साथ कई बिल फर्जी होने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से जांच करने की मांग की है।

पंचों का कहना है कि सरपंच पति और सचिव की मिलीभगत से बिल लगा कर राशि निकली जा रही है। पंचों की आसंका है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । बीते कुछ माह पूर्व लेवर भुगतान के नाम पर भी सरपंच खाते में राशि डाली गई थी । जिसका पैसा बिना मजदूरों को मिले ही निकल कर मिली भगत सरपंच सचिव द्वारा खत्म कर दी गई । और मजदूरों को एक फूटी कोंडी भी नहीं मिली गौरतलब है ।कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि महिला सरपंच के पति का पंचायत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

सरपंच पति पंचायतों में बैठकें नहीं ले सकेंगे यदि कोई सरपंच पति सरपंच के अधिकारों का उपयोग

करेगा या बैठकों आदि में सरपंच के स्थान पर भाग लेगा तो महिला सरपंच को पद से विधिवत हटाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है किंतु सारे नियमों को ताक में रखकर जनपद पंचायत निवास के अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुर बिसौरा की सरपंच संतोषी बाई है लेकिन सरपंच पति धर्मेंद्र के द्वारा पंचायतों के कार्यों में अनाधिकृत हस्तक्षेप करने संबंधी शिकायत ग्राम पंचायत भानपुर बिसौरा के पंचों के द्वारा लिखित आवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निवास को की है। आवेदन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच महिला है लेकिन सरपंच पति द्वारा ही सारे कार्य करवाए जा रहे, साथ ही मुख्य रूप से ग्राम गढ़बिसौरा सी, सी, रोड निर्माण कार्य एवं नल जल के नाम से लगे समस्त बिलों की जांच करने मांग की है। पूरे इस खेल सचिव की भी मिलीभगत पंचों द्वारा बताई गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जिले के उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

इनका कहना मामले की जानकारी संज्ञान में आई है पंचों के द्वारा की गई शिकायत की सूक्ष्मता से जांच करते हुए दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

बसनिया बांध निरस्त करने एसडीएम निवास को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

मंडला, देशबन्धु। बसनिया बांध से कुल 31 गांव के लोग विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले हैं। जिसमें निवास तहसील का चकदेही, कापा, पंडरीतलाई, नैझर,दरगढ, फरकी माल, सिवनी माल, बसगढी और मुरलापानी गांव शामिल है।कल मंगलवार को इन गांव के सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने मिलकर एसडीएम निवास को भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 244 में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित क्षेत्रों के पांचवीं अनुसूची के धारा- 2 के अन्तर्गत राज्यों की कार्यपालन शक्ति शिथिल किया गया है अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल को सर्वोच्च शक्ति एवं अधिकार दिया गया है। यह शक्ति संविधान के किसी भी प्रावधानों से मुक्त है।बताया गया है कि मंडला पांचवीं अनुसूची (आदिवासी क्षेत्रों की विशेष वयवस्था) के तहत वर्गीकृत है, जहां पेसा अधिनियम प्रभावशील है।इस बसनिया बांध परियोजना को लेकर प्रभावित ग्राम सभाओं ने विरोध में प्रस्ताव पारित कर सबंधित कलेक्टर को सूचित किया गया है।इसके बाबजूद भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित विभिन्न गांवों के लिए धारा - 11 की अधिसूचना प्रकाशित करना, डूब में आने वाली शासकीय (निस्तार) भूमि के लिए ग्राम सभाओं से अनापत्ति पत्र की मांग करना और बांध सर्वे कार्य को आगे बढाया जा रहा है, जो आदिवासियों को पेसा नियम के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन है।पांचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों के दायरे में हमारी ग्राम सभा बांध बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करती है।अत: इस मामले में राष्ट्रपति महोदया से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निरस्त करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के समय बसनिया (ओढारी) बांध विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष बजारी लाल सर्वटे,सरपंच चकदेही चौती बाई,उप सरपंच चकदेही गौतम यादव,सरपंच नैझर रामचरण मश्राम ,उप सरपंच नैझर दसरी बाई, सरपंच सिवनी माल,जनपद सदस्य मनोज कुडापे, मुकदम चीमका टोला चंदन सिंह उईके, राजेन्द्र कुलस्ते आदि शामिल थे।

सार-समाचार

कलेक्टर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कमिश्नर का स्वागत किया

मंडला, देशबन्धु। कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा के मंडला आगमन पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम कूड़ामैली में पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम निवास शाहिद खान, तहसीलदार रैना तामिया सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

आमाडोंगरी और खोड़ाखुर्द जी में उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

मंडला, देशबन्धु। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में विकासखण्ड बिछिया एवं घुघरी ग्राम पंचायतें जिनमें उचित मूल्य दुकानें पूर्व संचालक संस्थाओं के समर्पित करने के कारण रिक्त हैं। इन पंचायतों में दुकान खोलने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि बिछिया विकासखंड के आमाडोंगरी और विकासखंड घुघरी के खोड़ाखुर्द में उचित मूल्य दुकान रिक्त हैं। उक्त दुकानों के लिए पात्र संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान का आवंटन प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति/वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंध हो, विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, लघु वनोपज सहकारी समिति (दोनों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति को प्राथमिकता दी जायेगी) तथा महिला स्व सहायता समूह, उक्त संस्थाओं का पंजीयन आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्व का है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंजपवदउपजतंण्दपबण्पद पोर्टल पर 20 नवंबर 2024 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दुकान आवंटन की कार्यवाही संबंधित अनुभाग अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जाएगी।

आज सीधी भर्ती हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों

मंडला, देशबन्धु। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 5747/2023 ज.ठौन्ड फत्तैभ्प् ।छक् व्ज्भ्त्ै टै ज्भ्म् ैज.ज्म् व्थ् ड।क्भ्ल। च्त।क्मैभ् ।छक् व्ज्भ्त्ै तथा संबंधित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश 5 नवंबर 2024 के परिपालन में समस्त याचिकाकर्ताओं जिन्होनें कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित समूह-5 के अंतर्गत एएनएम (महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की सीधी भर्ती हेतु आयोजित संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनका नाम मेरिट में है, नियुक्ति संबंधी नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु दस्तावेजों के परीक्षण के संबंध में 8 नवंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे मण्डला जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त यथोचित दस्तावजों एवं न्यायालय निर्णय की सर्टिफाईड कॉपी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने चुटका परियोजना से विस्थापितों परिवारों के लिए निर्मित कॉलोनी का किया निरीक्षण

मंडला, देशबन्धु। कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने गुरूवार को मंडला जिले में चुटका परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए तैयार की गई नवीन कॉलोनियों का निरीक्षण किया। उन्होंने चुटका परियोजना से विस्थापितों परिवारों के लिए तैयार की गई कॉलोनियों की नियमित रूप से देखरेख और साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। जिससे उक्त कॉलोनियाँ सुरक्षित रह सकें। इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर आकिप खान, एसडीएम घुघरी सीएल वर्मा, एसडीएम निवास शाहिद खान, एसडीएम नैनपुर हुनेन्द्र घोरमारे, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफसहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला 11 को

मंडला, देशबन्धु। प्राचार्य शासकीय आईटीआई ने बताया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडला में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला/जॉब फेयर का आयोजन 11 नवंबर 2024 प्रात: 10 बजे से किया जा रहा है। वीई कमर्शियल पीथमपुर, वीई कमर्शियल भोपाल, एलएनटी अहमदाबाद, कपारो देवास आमधन ई, ब्रीम एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट भीवाडी राजस्थान एवं स्थानीय कंपनिया एवं कुल पदों की संख्या लगभग 300 है। शैक्षिक योग्यता में 10वी, 12वी, स्नातक, आईटीआई, (सभी ट्रेड) उत्तीर्ण पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। आयु 18 से 26 वर्ष तथा स्टाइपेण्ड दस हजार रु से 16 हजार रु. प्रतिमाह स्टाइपेन्ड एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। मेले में भाग लेने के लिए आयोजन के दिन उक्त स्थान पर अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं बायोडाटा सहित साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

मतदाता सूची के लिए घर-घर संपर्क करें : कमिश्नर

कमिश्नर ने विधानसभा क्षेत्र निवास अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 5 व 6 का किया निरीक्षण

मंडला, देशबन्धु। कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 106 निवास में अमर शहीद गिरजेश कुमार उद्दे बीएसएफ उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजाडांडी में बूथ क्रमांक 5 एवं 6 का निरीक्षण किया।

उन्होंने मतदान केन्द्र में बीएलओ से मतदाताओं की संख्या, मतदाता जेंडर रेशो, ईपिक रेशो और नाम जोड़ने तथा नाम काटने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से मृतक मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से काटे जाएं और जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं। मतदान केन्द्र अंतर्गत विवाह उपरांत आने वाली महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएं। कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने मतदान केन्द्र में सर्वे रजिस्टर, निरीक्षण पंजी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बीएलओ निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन के बाद 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज करें। गाँव में अनिवार्य रूप से मुनादि कराएं और 9 एवं 10 नवंबर तथा 16 एवं 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से कैम्प लगाएं। जिससे मतदान केन्द्रों में प्राप्त दावे आपत्तियाँ प्राप्त कर उनका निराकरण किया जा सके।

कमिश्नर अभय वर्मा ने मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए। मतदाता सूची में मतदान केन्द्र अंतर्गत सभी मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने प्रारूप 6, प्रारूप 7, प्रारूप 8 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए इस संबंध में जानकारी ली। कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने मतदान केन्द्रों में राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलए से भी संपर्क करने को कहा। जिससे मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र मतदाताओं के नाम काटने में उनका सहयोग लिया जा सकें। उन्होंने इस अवसर पर बीएलओ को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। बीएलओ को किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर उन्हें उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने को कहा। कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने कहा कि बीएलओ मतदान केन्द्रों में अनिवार्य रूप से आई कार्ड पहनकर कार्य करें। मतदान केन्द्रों में निर्वाचन आयोग का बेनर अनिवार्य रूप से लगाया जाए। जिससे मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी हो सके।

कमिश्नर अभय वर्मा ने कहा कि मतदान केन्द्रों का नियमित रूप से दुरूस्तीकरण/मरम्मत किया जाए। मतदान केन्द्रों में प्रकाश, लाईट, फर्नीचर, रैम्प, दरवाजे और खिड़कियां अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकासी का द्वार अलग-अलग होना चाहिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों के फर्श या दीवार क्षतिग्रस्त होने पर उनका मरम्मत अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र में बीएलओ नियमित रूप से उपस्थित रहें। मतदान केन्द्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, विधानसभा क्षेत्र, रिटर्निंग ऑफिसर, बीएलओ का नाम सहित संपूर्ण जानकारियाँ दर्ज होना चाहिए।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : अभय वर्मा

मंडला, देशबन्धु। कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी 50 दिवस से अधिक समय तक लम्बित सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण करें। जिससे सीएम हेल्पलाईन में जिले की ग्रेडिंग स्तर में सुधार हो सके।

कमिश्नर अभय वर्मा गुरूवार को जिला योजना भवन में आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर आकिप खान, एसडीएम घुघरी सीएल वर्मा, एसडीएम निवास शाहिद खान, एसडीएम नैनपुर हुनेन्द्र घोरमारे, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कमिश्नर अभय वर्मा ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

इसके लिए विभागीय अधिकारी शिकायतकर्ताओं से लगातार संपर्क करें। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को समय पर अटेंड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक आयोजित

मंडला, देशबन्धु। विगत दिवस मंडला के रपटा घाट स्थित गोंड़ी पब्लिक ट्रस्ट भवन के सभागार में जिला शाखा अध्यक्ष बी के राय की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई । जिसमें निर्णय लिया गया कि शासन की उपेक्षा पूर्ण नीति, पेंशनरों की अनदेखी तथा दमनकारी नीतियों के विरोध में दिनांक 11 नवंबर 2024 को प्रदेश व्यापी, एकदिवसीय आंदोलन कार्यक्रम संपन्न होगा ।जिसमें सभी जिलों के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिए जाएंगे। इसी क्रम में दिनांक 11 नवंबर 2024 को मंडला जिले के बेगा- बेगी चौक में जिले के पेंशनर्स अपराह्न 3:00 बजे एकत्र होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच कर ज्ञापन सौंपेंगे । बैठक के द्वितीय प्रस्ताव में एक मतेन एस के पटेल सेवानिवृत्ति कृषि विस्तार अधिकारी को जिले का कोषाध्यक्ष बनाया गया। अन्य प्रस्ताव में बताया गया की माह नवंबर में प्रत्येक पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अत: सभी पेंशनर्स बैंक जाकर फॉर्म भरें व फोटो चिपका कर फार्म जमा करें। या किसी भी ऑनलाइन सेंटर से जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा खुद के मोबाइल से ''जीवन प्रमाण'' एप डाउनलोड कर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

एसोसिएशन की परंपरा अनुसार प्रतिमाह सेवानिवृत पेंशनर्स का सम्मान किया जाता है,इसी क्रम में सेवानिवृत बी ई ओ शैलेंद्र मालवीय, सतेन्द्र अग्रवाल, सुनील पाठक, सुन्दर लाल मरावी का माल्यार्पण कर शाल, श्रीफल व पेन भैंट कर सम्मानित किया गया व पेंशनर परिवार में शामिल किया गया।बैठक में परिचय पत्रों का वितरण किया गया ।वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के प्रयास से जबलपुर के सीनियर एडवोकेट अजीत सिंह को मंडला बुलाकर 30 जून व अन्य प्रकरणों में केस लगाने की मंडला में ही सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत इस बैठक में वरिष्ठ वकील अजीत सिंह का आगमन हुआ। पेंशनरों ने मंडला में ही प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया की। अंत में जिला शाखा सचिव श्री एन के शुक्ला ने आभार व्यक्त किया, व बैठक का समापन किया गया।

समर्थन मूल्य में खरीदी जाए धान

आम आदमी पार्टी ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

मंडला, देशबन्धु। किसानों की धान का समर्थन मूल्य 3100 खरीदने को लेकर बधुवार को आम आदमी पार्टी जिला ईकाई के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि धान की फसल को लेकर चुनाव से पहले मोहन सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम 3100 रुपए एमएसपी की दर से धान खरीदेंगे लेकिन चुनाव गया बात गई ऐसा हो गया फिर भी अभी उम्मीद है।

धान और गेहूं का समर्थन मूल्य भी जो बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि धान में 3100 और गेहूं में 2700 रुपए एमएसपी दिया जाएगा। चुनाव से पहले जो किसानों से वादा किया था वो तो देना पड़ेगा। उस समय तो चुनाव के वक्त की बात थी और उस समय सीधे समर्थन मूल्य पर बिक्री की बात आ गई थी, इसलिए किसानों को भी समय नहीं मिला अपनी बात रखने का अब तो पूरा समय है किसानों के पास में अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा।

अभी खरीफ सीजन का समय चल रहा है और मंडला जिले में धान की फसल की खेती प्रमुखता के साथ की जाती है। सबसे ज्यादा बड़े रकबे में खरीफ सीजन में धान की खेती की जाती है। धान की फसल की बात की जाए तो मंडला में मौजूदा साल लेट बारिश हुई जिसकी वजह से देरी से रोपाई का काम हुआ। अब धान की फसल अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है, ऐसे में अब किसानों की भी उम्मीद जाग रही है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी और इस बार धान की फसल में एमएसपी बढ़ाएगी।

इस दौरान आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता शिशु सिंधु भलावी, नवीन राजपूत, सुनील पटेल, राजेश महोबिया, गौरव सोनी, सतीश यादव राकेश, सुश्री रोशनी, देवेंद्र पुषाम, अर्पित नंदा, रोहित पटेल एवं जिला कार्यालय प्रभारी नितिन झरिया उपस्थित रहे।

मतदाता सूची में नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ें: कमिश्नर

मंडला, देशबन्धु। कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा ने कहा कि बीएलओ मतदान केन्द्रों में बीएलओ का कार्य करते समय परिचय पत्र अनिवार्य रूप से लगाएं। मतदान केन्द्र में निर्वाचन आयोग का बेनर भी लगाना सुनिश्चित करें। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए मतदान केन्द्रों में डोर-टू-डोर संपर्क करें। जिससे मतदाता सूची में मतदान केन्द्र अंतर्गत किसी भी मतदाता का नाम न छूटे और मृतक मतदाताओं के नाम काटे जा सकें। उन्होंने त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए बीएलए की भी मदद लेने के निर्देश दिए। कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र मंडला में प्राथमिक शाला भवन संजयनगर बिंझिया में मतदान केन्द्र क्रमांक 205 एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 209 का निरीक्षण कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

कमिश्नर अभय वर्मा ने मतदान केन्द्र में मतदाता सूची त्रुटिरहित तैयार करने के निर्देश दिए। मतदाता सूची में मतदान केन्द्र अंतर्गत सभी मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से दर्ज रहें। उन्होंने प्रारूप 6, प्रारूप 7, प्रारूप 8 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए इस संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बीएलओ को किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर उन्हें उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने को कहा। उन्होंने मतदान केन्द्र के बीएलओ से मतदाताओं की संख्या, मतदाता जेंडर रेशो, ईपिक रेशो और नाम जोड़ने तथा नाम काटने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से मृतक मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से काटे जाएं तथा जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं। नवीन विवाहित महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएं। कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने मतदान केन्द्र में सर्वे रजिस्टर, निरीक्षण पंजी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन के बाद 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए डोर-टू-डोर संपर्क करें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 9 एवं 10 नवंबर और 16 एवं 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से कैम्प लगाए जाएं। जिससे मतदान केन्द्रों में प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

ग्राम पंचायत पड़रिया वार्ड क्रमांक 12 में गंदा पानी सड़क पर

मंडला, देशबन्धु। नारायणगंज जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया उर्फ नारायणगंज के वार्ड क्रमांक 12 में गंदा पानी सड़क के ऊपर बड़ा है जिसके कारण लोगों का आना-जाना में परेशानी हो रही है बरसात के दिनों में सड़क के ऊपर गंदा पानी भरा रहता है जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है गंदे पानी के साथ नाली का मालवा जो सड़क के ऊपर पड़ा रहता है सफाई न होने के कारण बदबू आती है जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बाडॉ क्रमांक 12 के मोहल्ला वासी ने लिखित शिकायत जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपाली अधिकारी को अपनी समस्या को लेकर शिकायत की गई जिसमें परेशान हो रहे लोगों को आने-जाने में गंदा पानी के कारण पूरे मोहल्ले पर उसका प्रभाव पड़ रहा है बच्चे बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं मलेरिया एवं मच्छरों से लोग परेशान हैं।